AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

आयकर समाप्त होः एक चिंतन

ORIGINAL ARTICLE

Authors

डॉ. राजेश कुमार अग्रवाल
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
गुरूकुल महिला महाविद्यालय
कालीबाड़ी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

डॉ. शोभा अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग
एवं विभागाध्यक्ष प्रबंध विभाग
अग्रसेन महाविद्यालय
पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

आयकर संग्रहण की मूल भावना ''अमीरो से कर और गरीबो को राहत'' रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी तरीके आज तक अपनाये गये है वो सफल नहीं हो पाए है। कर से बचने की जुगत में कालाधन बनता है और फिर यही धन कई अवैध क्रियाकलापो और जटिलताओं को जन्म देता है, जिसका हल खोजना अब तक टेढ़ी खीर बना हुआ है। यह कालाधन अनेक प्रकार की काली गतिविधियो जैसेः अवैध शराब, हथियार, तस्करी में जाता है। इसी कालेधन के कारण जमीनो के भाव भी आज आसमान छू रहे है इसलिए जरूरत है आयकर की समीक्षा करने की, कर ढांचे में इस तरह के सुधार करने की जो आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा देने के साथ ही कर संग्रहण भी आसान बनाए।

मुख्य शब्द

आयकर, आय, आर्थिक स्थिति, समाज.

प्रस्तावना

वर्तमान समय में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाये जाते है, इन सब में सर्वाधिक चर्चित, महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद कर है – आयकर। वर्तमान में केन्द्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व आयकर से प्राप्त होता है। जब बजट पेश होता है तो सभी का ध्यान आयकर के संबंध में होने वाले परिवर्तनो पर लगा होता हैं। आयकर की कर मुक्त बढ़ेगी या नहीं, कर की दरो कमी होगी या नहीं, कटौतियों में वृद्धि होगी या नहीं, पूंजी निवेश में वित्त मंत्री का क्या रूख रहेगा, आदि के बारे में लोग बजट के कई दिन पूर्व ही अटकले लगाना शुरू कर देते है। वित्तीय क्षेत्र में आयकर के बारे में उसी प्रकार चर्चा की जाती है जिस प्रकार खेल के क्षेत्र में क्रिकेट की होती है। बहुत से, ऐसे व्यक्ति होते है, जिनका क्रिकेट से दूर का भी संबंध नहीं होता, लेकिन उसकी चर्चा बड़े गहराई से करते है उसी तरह ऐसे लोग जिनका आयकर से कोई संबंध नहीं होता इसके संबंध में अधिकारपूर्वक विचार रखते है। शेयर बाजार की धड़कने सरकार की कर नीति से कम ज्यादा होती है। देश में पूंजी निर्माण एवं निवेश पर आयकर प्रभाव डालता है। विनियोग एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए यह कर ऑक्सीजन का काम करता है। आयकर से संबंधित मुख्य तथ्यः

1. भारत में आयकर की शुरूआत 24 जुलाई 1860 में ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन ने की थी। प्रथम वर्ष 11 लाख रूपए का आयकर वसूला गया था। 1919 में यह कानून समाप्त कर दिया गया था, परन्तु 1922 में इसे पुनः लागू कर दिया गया।

2. वर्तमान में लगभग प्रति वर्ष 3 फीसदी लोग प्रत्यक्ष कर रिटर्न भरते है, अर्थात् 97 फीसदी लोग प्रत्यक्ष कर के दायरे से बाहर है।
3. भारत में कुल 42,800 व्यक्ति है जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रूपये से अधिक है।
4. लगभग 4,00,000 व्यक्ति है जिनकी आय प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक है, इनकी कुल आयकर में हिस्सा 63 फीसदी हैं।
5. वर्ष 2001 में बजट से पहले अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने व्यक्तिगत आयकर को समाप्त करने के मुद्दे पर विचार किया था। केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी भी सहमत थे लेकिन जनवरी के तीसरे सप्ताह में गुजरात में भूकम्प आ गया। इस त्रासदी से उबरने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता थी इसलिए आयकर समाप्त करने का विचार त्याग दिया गया।

आयकर समाप्ति से देश और समाज को होगा लाभ

कर विशेषज्ञों की माने तो आयकर समाप्ति से आमजन के जीवन स्तर में सुधार की पूरी सम्भावना है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी किसी तरह का विपरीत असर नहीं पड़ेगा। यदि आयकर समाप्त कर दिया जाय तो निम्नांकित लाभ हो सकते हैं:

1. **जीडीपी में वद्धि होगी:** आयकर से मुक्ति मिलने पर व्यापार से और अधिक कमाने के लिए व्यवसायी प्रोत्साहित होगे। आयकर नहीं देने से बची हुई राशि से माँग की नई स्थितियों पैदा होगी जिसकी पूर्ति के लिए नए उद्योग स्थापित होगे। इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।
2. **मंहगाई घटने की सम्भावना:** जब उद्योग विकसित होगे तो बाजार में मॉग को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों की कीमते भी प्रतिस्पर्धा रखनी होगी। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओ और सेवाओ के मूल्य में कमी आ सकती है।
3. **रोजगार का सजन होगा:** आयकर समाप्ति से अधिक से अधिक उद्योगो की स्थापना होगी, जिसमे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे। अवैध कारोबार में लग रहा कालाधन वैध कारोबार में लगने लगेगा और अवैध कारोबार से जुड़े संगठित अपराधियो की गतिविधियो पर भी अंकुश लगेगा।
4. **सस्ते ऋण मिलेंगे:** आयकर की समाप्ति से लोगो की आय में वृद्धि होगी जिससे बैंको पर दबाव आ जाएगा। बाजार में मुद्रा का प्रचलन अधिक होने से लोग बैंको से ऋण कम लेना चाहेगे और बैंक अधिक से अधिक सरलता के साथ ऋण देना चाहेगे। इन स्थितियो में बैंक सस्ते ऋण उपलब्ध करा सकते हैं।
5. **नये कर की आवश्यकता नहीं:** आयकर की समाप्ति से राजस्व में होने वाले कमी को पूरा करने के लिए नये कर की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि व्यापार में मात्रात्मक वृद्धि के कारण सरकार को बिना किसी प्रयास के ही 20 से 25 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करो के रूप में बढ़कर मिलेगे। उसे तो वर्तमान दरो में भी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी यदि सरकार आय में वृद्धि चाहे तो वह बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर या सेवा कर की दर की परिवर्तित कर सकता है।

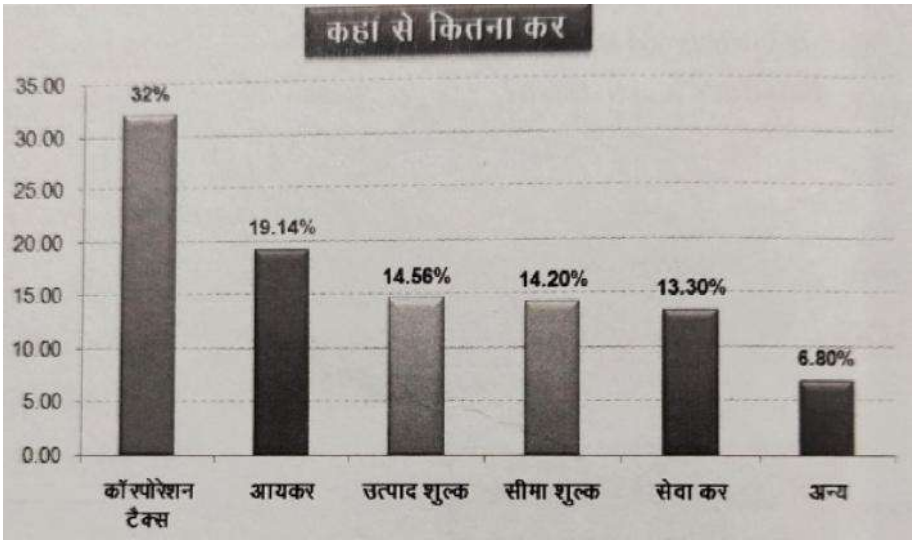

इन देशो में नहीं लगता आयकर– निम्नाकित देशो में नहीं लगता आयकर

- **कतरः** कतर को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया के सर्वाधिक अमीर देशो में शामिल किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार यहाँ बेरोजगारी नहीं के बराबर है। अन्य करो की दरे भी सबसे कम है।
- **ब्रुनेईः** सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता के आधार पर इस देश का पाँचवा स्थान है। यह वह देश है जिसका सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का शून्य फीसदी है।
- **यूएईः** संयुक्त अरब अमीरात आज प्रमुख अमीर देशो में से एक है और सभी प्रकार की सुविधाएँ वहाँ के निवासियो के लिए उपलब्ध है। पर्यटन और वित्तीय सेवाकर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आयकर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कालेधन की प्रमुख जड़ है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आयकर समाप्त कर दिया जाय तो राष्ट्र को कितने राजस्व की हानि होगी? दूसरा प्रश्न किन विकल्पो के माध्यम से इस राशि की भरपाई हो सकेगी। पहली बात तो यह है कि राजस्व की हानि के आँकड़ो का अनुमान केवल यही हो सकता है कि जितनी राशि पूर्व में प्राप्त हुई और पूर्व के वर्षों में कितने प्रतिशत औसत वृद्धि होती रही है, उसे जोड़कर एक अनुमान लगा लिया जाए। रहा सवाल इस हानि की पूर्ति का तो भारत का जो कालाधन विदेशी बैंको में है उसके वापस आने से किसी को भी आजीवन आयकर नहीं देना पड़ेगा। यह केवल अनुमान है लेकिन आयकर हटा दिया जाए तो वस्तुओ और सेवाओ पर लगने वाले कर की चोरी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति के सोच में परिवर्तन आएगा कि वह कितना भी लाभ प्राप्त कर ले उसे आयकर नहीं देना है। निजी आय को छिपाने का भय समाप्त होने पर व्यापारिक आय भी चोरी की सोच समाप्त होगी क्योंकि निजी आय में वृद्धि करने के लिए व्यापारिक आय को भी बढ़ाकर दिखाना होगा और व्यापार में मात्रात्मक वृद्धि से सरकार को बिना किसी प्रयास के ही परोक्ष कर बढ़कर मिलेगा।

यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रत्यक्ष कर (आयकर) के बजाए अप्रत्यक्ष कर (बिक्री कर, एक्साइज आदि) पर अधिक निर्भरता से मंहगाई बढ़ती है। यह सही है कि अप्रत्यक्ष कर अमीर–गरीब सभी में आते है पर समाज के वंचित तबके पर इसकी मार न पड़े इसके लिए कुछ ठोस उपाय किये जा सकते है। कई देशो में ऐसा भी है कि अनप्रोसेस्ड आइटम जैसे सब्जियों, गेहूँ आदि और आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियो जैसे तेल, नमक आदि को कर मुक्त श्रेणी में रखे जा सकते है जबकि प्रोसेस्ड आइटम्स जैसे ब्रेड, रेडीमेड आइटम्स, महंगे सामान, विलासिता की वस्तुओ (जैसे वाशिग मशीन, सेलफोन, एसी आदि) पर कर अधिक रखा जा सकता है।

आयकर की समाप्ति से समानांतर चलने वाली कालेधन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगेगा। इससे समाज में पनपने वाली बुराइयो पर भी लगाम लग सकती है। भले ही इसका प्रतिशत कम हो लेकिन कमी जरूर आयेगी। इसका कारण यह है कि बाजार में धन का पर्याप्त प्रवाह होने के कारण बेरोजगारी व मजबूरी में पनपने वाली बुराइयो के लिए सीमित स्थान होगा। सरलता से मिलने वाला रोजगार और पर्याप्त आय के साधन, मजबूरी में अपराध की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति पर अकुंश जरूर लगाएंगे।

संदर्भ सूची

1. सकलेचा, श्रीपाल (2023) *आयकर विधान एवं लेखे,* सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, इंदौर, पृ. 1–8।
2. मेहरोत्रा, एच.सी. (2023) *आयकर विधान एवं लेखे,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 1–10।
3. मेहरोत्रा, एच.सी. एवं गोयल, एस.पी. (2023) *इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
4. Gabhawala, Mahendra B. (2023) *Taxmann's Tax Practice Manual,* Taxmann Publications Private Limited, New Delhi .

––==00==––